झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान सभा
दशम् (शीतकालीन) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न,गुरूवार,दिनांक– 01 पौष, 1944 (श0) / 22 दिसम्बर, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां.सं.	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
119.	अ0सू0–13	श्री रामदास सोरेन	मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना।	अनु0 जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.22
120.	अ0सू0–18	श्री दीपक बिरूवा	नामांकन सुनिश्चित कराना।	अनु0 जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.22
121.	अ0सू0–28	श्री दीपक बिरूवा	आवंटन सुनिश्चित कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.12.22
122.	अ0सू0–19	डॉ0 लम्बोदर महतो	कमीशन राशि का भुगतान कराना।	खाद्य,सा0वि0 एवं उप0मामले	17.12.22
123.	अ0सू0–30	श्री भानु प्रताप शाही	नदियों की सफाई।	जल संसाधन	17.12.22
124.	अ0सू0–24	श्री समीर कु0 मोहन्ती	आवासीय विद्यालय की स्थापना।	अनु0 जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.22
125.	अ0सू0–25	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	मुआवजा एवं नियोजन प्रदान कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	17.12.22
126.	अ0सू0–03	डॉ0 लम्बोदर महतो	निवेश राशि का भुगतान।	वित्त	13.12.22
127.	अ0सू0–08	श्री अनन्त कु0 ओझा	गंगा कटाव की रोकथाम।	जल संसाधन	16.12.22
128.	अ0सू0–11	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	पोषाहार राशि का भुगतान।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	16.12.22
129.	अ0सू0–27	श्री दशरथ गागराई	वितरणियों का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	17.12.22

01	02	03	04	05	06
130.	अ0सू0-14	श्री राजेश कच्छप	आधुनिक मशीन उपलब्ध कराना।	खाद्य,सा0वि0 एवं उप0मामले	17.12.22
131.	अ0सू0-16	श्री राजेश कच्छप	आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध कराना।	अनु0 जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.22
132.	अ0सू0-02	श्री विनोद कु0 सिंह	समायोजित कराना।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा	13.12.22
133.	अ0सू0-20	श्री रामदास सोरेन	मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करना।	अनु0 जाति,अनु0 जनजाति,अल्प0 एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	17.12.22
134.	अ0सू0-29	श्री सरयू राय	अनुदानित दर पर राशन उपलब्ध कराना।	खाद्य,सा0वि0 एवं उप0मामले	17.12.22
135.	अ0सू0-05	श्री राज सिन्हा	संविदा कर्मियों को लाभ प्रदान करना।	वित्त	16.12.22
136.	अ0सू0-23	श्री मनीष जायसवाल	चेक डैम का निर्माण।	जल संसाधन	17.12.22
137.	अ0सू0-09	श्री सरयू राय	नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना।	ऊर्जा	16.12.22
138.	अ0सू0-32	श्री संजीव सरदार	फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.12.22
139.	अ0सू0-01	श्री प्रदीप यादव	बिजली उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करना।	ऊर्जा	13.12.22
140.	अ0सू0-17	श्री मथुरा प्रसाद महतो	डैम का जीर्णोद्धार।	जल संसाधन	17.12.22
141.	अ0सू0-22	श्री अमर कुमार बाउरी	दोषियों पर पीई दर्ज करना।	खाद्य,सा0वि0 एवं उप0मामले	17.12.22
142.	अ0सू0-07	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	पद सोपान का संशोधन।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	16.12.22
143.	अ0सू0-26	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	कोल्डस्टोरेज का निर्माण।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.12.22
144.	अ0सू0-06	श्री अमित कु0 मंडल	नियोजन नीति बनाना।	जल संसाधन	16.12.22
145.	अ0सू0-12	श्री सुदिव्य कुमार	बिजली व्यवस्था में सुधार।	ऊर्जा	17.12.22
146.	अ0सू0-04	श्री प्रदीप यादव	छूट वापस लेना।	ऊर्जा	14.12.22
147.	अ0सू0-21	श्री निरल पुरती	नदी के कटाव को रोकना।	जल संसाधन	17.12.22
148.	अ0सू0-10	श्री सुदेश कुमार महतो	गाँवों का सीमांकन कराना।	जल संसाधन	16.12.22
149.	अ0सू0-15	श्री मनीष जायसवाल	बकाया बिजली बिल जमा कराना।	ऊर्जा	17.12.22
150.	अ0सू0-31	श्री समीर कुमार मोहन्ती	मानदेय का भुगतान।	कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता	17.12.22

राँची,
दिनांक- 22 दिसम्बर,2022(ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020.....2406...../वि0स0,राँची,दिनांकः–19/12/22

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुरेश
19/12/22

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020.....2406...../वि0स0,राँची,दिनांकः–19/12/22

प्रतिलिपिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय,झारखण्ड विधान–सभा, राँची को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव (प्रश्न) के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश
19/12/22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0(प्रश्न)–05/2020.....2406...../वि0स0,राँची,दिनांकः–19.12.22

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा,आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान–सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश
19/12/22

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,राँची।

राजेन्द्र/–

19.12.22

119

श्री रामदास सोरेन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–13 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित अनुसूचित जन जातीय बालक आवासीय उच्च विद्यालय उपर पावड़ा, घाटशिला सरकार द्वारा संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय के छात्रावास में काफी लम्बी अवधि से छात्रों की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे–बेड, गद्दा, स्टडी टेबल एवं कुर्सी सहित कई अन्य जरूरत का सामान नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय के छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है;	अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय उपर पावड़ा, घाटशिला में मुलभूत सूविधा उपलब्ध है। अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर अतिरिक्त सुविधा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि० स०–01 / 2022–क– 3672 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2383, दिनांक–17.12.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(120)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–18 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि कोल्हान प्रमण्डल के 780 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 2022 में 14 विभिन्न आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए चयन हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चयनित अभ्यर्थियों का नामांकन 14 विद्यालयों में से 9 विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए उनकी पढ़ाई चालू है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि छः माह बीत जाने के बाद भी शेष पाँच विद्यालयों के सफल विद्यार्थियों का नामांकन नहीं होने से भविष्य अधर में है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सफल विद्यार्थियों के नामांकन प्रक्रिया में बेवजह विलम्ब उत्पन्न करने वाले पदा०/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करते हुए नामांकन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिन 05 आवासीय विद्यालयों में नामांकन नहीं हो सका है उनमें से 03 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 01 आश्रम विद्यालय, 01 अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय हैं। सभी 05 विद्यालयों का भवन नवनिर्मित है, जिनका संचालन शैक्षणिक सत्र 2022–23 से प्रस्तावित था। गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रश्नगत विद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–NESTS/EMRS/ Common Academic Corr./109/2021-22, दिनांक–23.12.2021 द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन का दायित्व गैर सरकारी संस्थाओं को सौंपने की प्रक्रिया को स्थगित करने एवं भारत सरकार के पूर्वानुमति के बिना इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लेने का निदेश प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक–84, दिनांक–21.01.2022 एवं अनुवर्ती स्मार 541, दिनांक–24.02.2022, 759, दिनांक–10.03.2022, 928, दिनांक–24.03.2022, 1273, दिनांक–26.04.2022 एवं 1339, दिनांक–05.05.2022 के द्वारा भारत सरकार के उक्त स्थगन आदेश को समाप्त करने एवं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने के संबंध में निर्णय लेते हुए राज्य सरकार को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के आलोक में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–NESTS/HR&Stateissues/ Jharkhand/260/2021-22, दिनांक–23.05.2022 के द्वारा यह सूचित किया गया है कि गैर

		सरकारी संस्थाओं के माध्यम से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) के स्तर पर दिशा–निर्देश को अंतिम रूप देने एवं दिशा–निर्देश निर्गत होने तक इन विद्यालयों के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाय। उक्त के क्रम में पुनः विभागीय पत्रांक–1565, दिनांक–01.06.2022 के द्वारा नियमित नियुक्ति होने तक या केन्द्र स्तर पर गैर सरकारी संस्थाओं के चयन हेतु मार्गदर्शिका एवं शर्तों के निर्धारण के उपरान्त गैर सरकारी संस्थाओं के Empanel होने तक नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति से किया गया है, जिसके प्रत्यूत्तर में पुनः राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–NESTS/HR & Stateissues/Jharkhand/260/2021-22, दिनांक–24.06.2022 के द्वारा नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया को स्थगित रखने का निदेश प्राप्त है। पुनः नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में चयनित छात्र/छात्राओं के नामांकन एवं आधारभूत संरचना आदि की सुरक्षा के संबंध में मार्गदर्शन की मांग विभागीय पत्रांक–1976, दिनांक–06.07.2022 एवं अनुवर्ती स्मार 2422, दिनांक–16.08.2022 के द्वारा भारत सरकार से की गयी है, जिसका प्रत्यूत्तर अप्राप्त है। जहाँ तक नवनिर्मित आश्रम विद्यालय एवं अनुसूचित जनताति आवासीय विद्यालय में नामांकन का प्रश्न है तो इन विद्यालयों में नामांकन हेतु बच्चों के चयन, बच्चों के पठन–पाठन एवं आवासन हेतु आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति तथा विद्यालय के संचालन/प्रबंधन हेतु गैर सरकारी संस्था का चयन करते हुए विद्यालय का संचालन यथाशीघ्र प्रारंभ करने का निदेश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अप्रैल से प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक सत्र 2023–24 में विद्यालय संचालन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि० स०–03/2022–क– 3674 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2381, दिनांक–17.12.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(121)

श्री दीपक बिरुवा, मा०स०, झा०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–28 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पोषाहार राशि नहीं मिलने से 2330 आंगनबाड़ी केन्द्रों से जुड़े 50 हजार से अधिक बच्चे, गर्भवती व धात्री माताओं को पोषाहार मिलना बंद हो गया है।	अस्वीकारात्मक। जिले में 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, 06 माह से 06 वर्ष के कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन (THR) के रुप में माइक्रो न्यूट्रियन्ट्स फोर्टिफाईड एण्ड/ऑर इनर्जी डेन्स फूड (MFEDF) एवं स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03–06 वर्ष के बच्चों को गर्म ताजा पोषाहार (HCM) नियमित रुप से उपलब्ध कराया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि आवंटन की सुविधा नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय दुकानों से उधार लेकर पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा था उसे भी बंद कर दिया गया।	अस्वीकारात्मक। यथा कंडिका–1 में उल्लिखित।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त समस्या के कारण आंगनबाड़ी सेविकाओं को केन्द्र का संचालन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों को सुचारु रुप से संचालित करने हेतु आवंटन सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीय अंश विमुक्ति हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है एवं राशि प्राप्त होने के उपरांत यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 460/2022 – 2888 राँची, दिनांक : 21.12.2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 2390/वि0स0 दिनांक–17.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(अरशद जमील)

सरकार के अवर सचिव।

122

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
डॉ० लम्बोदर महतो
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को विगत 16 महीनों से उन्हें मिलने वाली कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है; (2) यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उनके कमीशन राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से जन वितरण प्रणाली दुकान के माध्यम से खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार लाभुकों से एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त उपभोक्ता मूल्य को संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा डीलर कमीशन के रूप में रखने का प्रावधान है। उपर्युक्तानुसार डीलर कमीशन की राशि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को खाद्यान्न वितरण के साथ ही प्राप्त हो जाती है। इस तरह इस योजना (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) में डीलर कमीशन की कोई बकाया राशि नहीं है। कोरोना संक्रमण एवं इसके बढ़ते दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलायी गई है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को 05 किलोग्राम प्रति लाभुक खाद्यान्न मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न के उठाव, परिवहन एवं वितरण के कार्य हेतु अनुमानित व्यय का भार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह मई, 2021 से मार्च, 2022 तक अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना संचालित की गई थी। इस क्रम में माह मई, 2021 से लेकर अक्टूबर, 2021 तक की अवधि के लिए डीलर कमीशन के भुगतान हेतु राशि राज्य निधि एवं भारत सरकार से प्राप्त Central Assistance की राशि से उपलब्ध करा दी गई है। शेष माह की बकाया राशि के भुगतान के संदर्भ में राशि की अधियाचना भारत सरकार से की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह अप्रैल, 2022 से सितम्बर, 2022 तक की अवधि के लिए संबंधित योजना के संचालन हेतु खाद्यान्न के परिवहन कार्य एवं डीलर कमीशन के भुगतान हेतु 90.37 करोड़ रूपये भारत सरकार से Central Assistance के रूप में प्राप्त हुआ है जिससे डीलर कमीशन की राशि के भुगतान हेतु दिशा निर्देश विभागीय पत्रांक–3228, दिनांक 18.10.2022 के माध्यम से दिया गया है एवं भुगतान का कार्य जारी है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–97/2022 3872 /राँची, दिनांक 20/12/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2377, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2022

सरकार के अवर सचिव।

123

माननीय स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही द्वारा दिनांक 22.12.2022 पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	अल्प–सूचित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे जल स्त्रोत है जैसे– पाण्डा नदी, डोमनी नदी, धोबनी नदी, राजदहवा नदी, बांकी नदी, धमनी नदी, रउदरा नाला, रामसागर बांध, कवलदाग नदी, युरिया नदी, लोलकी नदी जो आज अतिक्रमण एवं गंदगी के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सभी जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए बड़े पैमाने पर इन सभी नदियों एवं जल स्त्रोतों की सफाई कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उक्त जल स्त्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के निमित्त उपायुक्त, गढ़वा से समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः– 6441 /राँची, दिनांक– 21/12/22

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 2388 वि०स०, दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी–6 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(124)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–24 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में काफी भारी संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग निवास करते हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि अबतक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु जिले में कोई विशेष प्रबंध नहीं है;	अस्वीकारात्मक। सरकारी विद्यालयों एवं स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं को पठन–पाठन हेतु छात्रवृति भुगतान किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत पिछड़ा वर्ग के छात्रों हेतु दो छात्रावास भी संचालित हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आने वाले विद्यार्थियों के लिए खण्ड–01 में वर्णित जिले में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों;	विभाग द्वारा वर्तमान में पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए चार (04) आवासीय उच्च विद्यालय राँची, हजारीबाग, दुमका एवं पलामू जिला मुख्यालय में संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में पिछड़ा वर्ग के बालकों के लिए राँची, साहेबगंज, बोकारो, सरायकेला एवं गढ़वा में एक–एक आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्वी सिंहभूम जिला में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भविष्य में प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10/वि० स०–02/2022–क– 3673 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2376, दिनांक–17.12.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०स०–25 का उत्तर (125)

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत तरहसी प्रखण्ड के पंचायत सेलारी अन्तर्गत ग्राम छेचानी के आंगनबाड़ी केन्द्र में दिनांक– 24.11.2022 को गर्म माड़ से जलने के कारण परमेश्वर साव की दो बच्चियों (शिबू कुमारी एवं ब्यूटी कुमारी, उम्र क्रमशः 4 एवं 5 वर्ष) की मृत्यु रिम्स, राँची के बर्न यूनिट में 06.12.2022 के शाम एवं 07.12.2022 की सुबह में हो गई।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र का अपना भवन नहीं होने के कारण, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, छेचानी के भवन में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा उक्त विद्यालय के माध्यान्ह भोजन की रसोई का संचालन एक दूसरे से सटे हुए कमरों में किया जा रहा है।	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका, सहायिका तथा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय, छेचानी, की की माध्यान्ह भोजन रसोईया की घोर लापरवाही से खुले में खौलता हुआ माड़ आंगनबाड़ी केन्द्र के मासूम बच्चों के निकट रख देने के कारण यह अत्यन्त हृदय विदारक घटना घटित हुई है, जिसके कारण दो मासूम बच्चियों (आपस में सगी बहन) की मृत्यु हो गई।	स्वीकारात्मक ।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका, सहायिका तथा बिद्यालय की रसोईया को जानलेवा लापरवाही बरतने के कारण बर्खास्त करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन का अन्य स्थान पर निर्माण कराने तथा मृत बच्चियों के अभिभावक को मुआवजा एवं उसकी माँ को नियोजन देने का विचार रखती है, हॉ तो कब कत, नहीं तो क्यों ?	संबंधित आंगनबाड़ी सेविका एवं आंगनबाड़ी सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन बनाने वाली दोनों रसोईया एवं संयोजिका को कार्यमुक्त कर दिया गया है। उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र को किराया भवन में स्थानांन्तरित कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा– 458/2022 – 2890 राँची, दिनांक : 21.12.2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 2391/वि0स0 दिनांक–17.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(126)

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 22.12.2022 को
पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0– 03 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रदेश में लाखों जमाकर्त्ताओं के द्वारा सहारा में लगभग 500 अरब रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया है, जिसकी परिपक्वता अवधि पूरी होने के बावजूद सहारा इण्डिया के द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक झारखण्ड राज्य के अनेक जमाकर्त्ताओं का सहारा इंडिया में पैसा जमा है एवं परिपक्वता के बाद सहारा इंडिया द्वारा पैसा का भुगतान नहीं किया जा रहा है। विभाग को भी इस संबंध में आम निवेशकों से कई शिकायतें प्राप्त हुई है, जो सहारा इंडिया के विभिन्न मल्टी कोपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। इन शिकायतों को Multi Cooperative Societies के नियामक संस्था Central Registrar, सहारा इंडिया एवं संबंधित जिलों के प्रमण्डलीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है एवं जमाकर्त्ताओं की राशि को शीघ्र भुगतान करने का निदेश पुनः विभागीय अर्द्धसरकारी पत्रांक 590 दिनांक 16.12.2022 द्वारा Central Registrar को राज्य के जमाकर्त्ताओं का सहारा इंडिया के विभिन्न कॉपरेटिव सोसाइटी में निवेशित रकम को जमाकत्ताओं को वापस दिलाने के संबंध में निदेश दिया गया है। Central Registrar,New Delhi द्वारा दिनांक 24.09.2020 द्वारा पारित आदेश में सहारा ग्रुप के कोपरेटिव सोसाइटी को नए एवं पुराने सदस्यों से जमा स्वीकार करने एवं Existing सदस्य से renewal deposits स्वीकार करने से रोक लगा दी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सहारा इण्डिया के द्वारा उक्त निवेश राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कई उपभोक्ता आत्महत्या करने का विवश हो रहे है;	अस्वीकारात्मक इस तरह का कोई प्रतिवेदन अब तक सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश के सहारा इण्डिया में जमाकर्त्ताओं के निवेश किये गये या जमा राशि का भुगतान कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा जमाकर्त्ताओं की शिकायतों के लिए Help Line No. 112 जारी की गई है। जमाकत्ताओं से प्राप्त शिकायतों को Central Registrar of Cooperative Societies, Minsitry of Agriculture and Farmers Welfare, New Delhi/सेबी एवं सहारा इण्डिया को भेजी गई है तथा राज्य सरकार जमाकर्त्ताओं का पैसा वापस दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहीं है।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांकः 10/वि0स0(4)–37/2022:592/ **राँची, दिनांकः**20/12/2022/

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2199/वि0स0 दिनांक 13.12.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल 20-12-2022

(कौशल किशोर झा)
सरकार के उप सचिव।

127

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–08 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत साहेबगंज ग्रामीण प्रखण्ड के पंचायत रामपुर स्थित सकरीगली अन्तर्गत गोपालपुर दियारा, पंचायत–मखमलपुर उत्तर अन्तर्गत कारगिल तथा पंचायत–हरप्रसाद अन्तर्गत ग्राम–टोपरा दियारा और रामपुर गंगा नदी तटीय व मध्य क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ गंगा कटाव जारी है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत "चानन" में गंगा कटाव जारी है, जो शहरी घनी आबादी क्षेत्र में पड़ता है।	स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड के पंचायत श्रीधर दियारा अन्तर्गत श्रीधर दियारा के कॉलोनी नं०–10 के आसपास के क्षेत्र में गंगा कटाव जारी है।	स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार वर्णित शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे गंगा कटाव की रोकथाम व स्थानीय आमजन की सुरक्षा हेतु गंगा कटाव निरोधक कार्य अविलम्ब कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–01 के संबंध में क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी। खण्ड–02 में वर्णित चानन के आंशिक भाग में कटाव निरोधक कार्य कराये जाने की अनुशंसा तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) द्वारा दी गई है। शीघ्र प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्यारंभ किया जाएगा। खण्ड–03 के संबंध में क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–13/2022 – 6474 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2326 वि०स० दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

128

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा०स०, झा०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–11 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र में स्कूल पूर्व शिक्षा के निमित आने वाले बच्चों के लिए पोषाहार का पैसा आंगनबाड़ी सेविका को तीन से चार माह बाद मिलता है, जिसके कारण आंगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पोषाहार चलाने के लिए दुकान या अन्य लोगों उधार लेकर पोषाहार चलाती है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पोषाहार का पैसा प्रतिमाह नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी सेविका को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पोषाहार का पैसा अग्रिम भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर शाला पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित होने वाले 03 से 06 वर्ष के बच्चों के बीच वितरित किये गये गरम ताजा पोषाहार (HCM) के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका द्वारा व्यय विपत्र तैयार किया जाता है, जिसे उनके द्वारा संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को समर्पित की जाती है। इसके आलोक में ही नियम सम्मत राशि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा सीधे आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के संयुक्त बैंक खाता में हस्तांतरित की जाती है। यह हस्तांतरण समान्यतः मासिक रुप से सुनिश्चित की जाती है, तथापि सम्प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार से केन्द्रीय अंश विमुक्त नहीं रहने के कारण कुछ माह का पोषाहार राशि का जिलों को आवंटन लंबित है। भारत सरकार से केन्द्रीय राशि प्राप्त होते ही सभी जिलों को नियमित भुगतान हेतु राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। आंगनबाड़ी सेविकाओं को पूरक पोषाहार के वितरण हेतु अग्रिम राशि विमुक्ति हेतु सम्प्रति कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा– 459 / 2022 – 2889 राँची, दिनांक : 21.12.2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक सं0–2330 / वि0स0 दिनांक–16.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(129)

दशरथ गागराई, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सोना सिंचाई योजना अन्तर्गत खरसावां शाखा नहर से निकलने वाली छः अदद् वितरणियों के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। सोना मुख्य नहर से सिंचाई लक्ष्य 3000 हेक्टेयर के विरूद्ध 2650 हेक्टेयर तथा खरसावाँ शाखा नहर से सिंचाई लक्ष्य 2200 हेक्टेयर के विरूद्ध 2050 हेक्टेयर विगत खरीफ अवधि में सिंचाई उपलब्ध करायी गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सोना सिंचाई योजना अन्तर्गत सोना मुख्य नहर से निकलने वाली चार अदद् वितरणियाँ भी जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है,	
3.	क्या यह बात सही है कि इन वितरणियों के बेड में गाद जमा होने, जगह–जगह झाड़ी उगने एवं नहर के बैंक के अस्तित्व समाप्त होने से वितरणियों में कुछ ही दूरी तक जल श्राव पहुंच पाता है,	
4.	क्या यह बात सही है कि इन वितरणियों के जीर्णोद्धार हेतु कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा प्राक्कलन समर्पित किया जा चुका है,	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी सिंचाई योजना के वितरणियों के ERM कार्य को स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के स्तर पर प्राक्कलन की समीक्षा/जाँच की जा रही है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार उक्त वितरणियों के पुनरूद्धार कार्य कराये जाने पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–18/2022 – 6472 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 2385 वि०स० दिनांक 17.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(130)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–14 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री राजेश कच्छप
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली के दुकानों की संचालको/डीलरों की Eposs Machine 2G Modal एवं 20 वर्ष पुरानी हो चुकी है;	राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित ई–पॉस मशीनें 2G Mode पर कार्य करती है। ये मशीनें वर्त्तमान में 5 वर्ष पुरानी है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Machine 5G-6G Era में कहीं नहीं टिकती तर्जसके कारण लाभुकों का Finger Print Read ही नहीं कर पा रही है; और लाभुक राशन आदि पाने से बंचित हो जा रहे हैं;	(i) मशीनें Finger Print Read करने में सक्षम हैं। (ii) जिन कुछ लाभुकों का Biometric असफल होता है उन्हें UID (आधार) आधारित OTP के माध्यम से खाद्यान्न वितरित की जाती है। (iii) राज्य के 1500 वैसे दुकानों में IRIS Scanner भी अधिष्ठापित किये गए है, जिनमें ज्यादातर लाभुकों का Finger Print असफल होता है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Read नहीं करने के कारण राशन का बड़े पैमाने पर Black Marketing को बढ़ावा दिया जा रहा है;	विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है कि खाद्यान्न वितरण अधिक से अधिक Online e-PoS मशीनों के माध्यम से ही हो ताकि Real time basis पर वितरण के आँकड़े प्राप्त हो सके एवं लाभुकों का अनुमान्यता सुनिश्चित हो सके। Finger Print असफल होने की स्थिति में आधार आधारित OTP एवं अपवाद पंजी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित की जाती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1, 2 एवं 3 में वर्णित विषय पर संज्ञान लेकर अत्याधुनिक मशीन डीलरों को उपलब्ध कराने एवं दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा कमजोर नेटवर्क क्षेत्रों वाले दुकानों में 4G Dongle एवं 12db Antenna का अधिष्ठापन करते हुए वितरण में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। प० सिंहभूम के 50 जन वितरण प्रणाली दुकानों में पॉयलट आधारित 4G मशीनों का परीक्षण किया जा रहा है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–98/2022 3873 /राँची, दिनांक 20/12/22
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2380, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2022
सरकार के अवर सचिव।

131

श्री राजेश कच्छप, स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–16 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि भारतीय संविधान में 5th Schedule की व्यवस्था दी गई है जिसमें देश के अनुसूचित क्षेत्रों में Tribal & Abrozinals समुदाय की अस्तित्व रक्षार्थ Tribes Advisory Council को Constitutionally Empowered किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित Council को भारतीय संविधान में Mini Assembly का दर्जा प्राप्त है;	खण्ड – 1 के आलोक में आंशिक रूप में।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य में आजतक खण्ड–2 में वर्णित TAC का अपना भवन व कार्यालय तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था नहीं होने से अनु०ज०जा० के हितार्थ फैसले लेने में देर होती है तथा TAC की प्रासंगिकता में भी प्रश्नचिन्ह् लगते है;	स्वीकारात्मक। झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् का अपना भवन तथा कार्यालय वर्तमान में नहीं है। उक्त बिन्दु पर झारखण्ड जनजातीय परामर्शदातृ परिषद् की बैठक में निर्णय के उपरान्त कार्रवाई की जायगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 5th Schedule की मुख्य Concept TAC के लिये आधारभूत संरचनायें एवं संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका–3 में वर्णित।

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–08 / वि०स०(अ०स०)–07 / 2022 - 3659 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं०–2384 दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

132

श्री विनोद कुमार सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या– 02 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा योजना बंद करने के कारण राज्य में कार्यरत 10 हजार से ज्यादा पोषण सखी की छंटनी हो गई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्षों से कार्यरत व प्रशिक्षित पोषण सखी महिला बेरोजगार, अभावबोध, व मानसिक तनाव में चली गई है ;	अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) विभागाधीन केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् वित्तीय वर्ष 2016–17 से कार्यरत थी जिनकी सेवा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या– 720, दिनांक–24.03.2022 के निर्णयानुसार दिनांक– 01.04.2022 के प्रभाव से समाप्त की जा चुकी है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन प्रशिक्षित व अनुभवी पोषणसखी महिलाओं को किसी अन्य योजना में समायोजित करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका–सह–पोषण परामर्शी (पोषण सखी) को किसी अन्य योजना में समायोजित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभागान्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03 / म0स0 / विधान सभा– 449 / 2022 – 2871 राँची, दिनांक : 20 . 12 . 2022

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक सं0– 2198 / वि0स0 दिनांक–13.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.12.22

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।

(132)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–20 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला स्थित अनुसूचित जन जातीय बालक आवासीय उच्च विद्यालय उपर पावड़ा, घाटशिला सरकार द्वारा संचालित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय के छात्रावास में काफी लम्बी अवधि से छात्रों की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं जैसे–बेड, गद्दा, स्टडी टेबल एवं कुर्सी सहित कई अन्य जरूरत का सामान नहीं होने के कारण उक्त विद्यालय के छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है;	अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय उपर पावड़ा, घाटशिला में मुलभूत सूविधा उपलब्ध है। अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से अतिरिक्त राशि की मांग की गयी है। द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से बजटीय उपबंध प्राप्त होने पर अतिरिक्त सुविधा बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छात्रहित में खण्ड–01 में वर्णित विद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाओं को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि० स०–01 / 2022–क– 3671 राँची, दिनांक– 21/12/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०–2382, दिनांक–17.12.2022 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumari 21/12/22

(वन्दना कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(134)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–29 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री सरयू राय
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत झारखण्ड की करीब 85 प्रतिशत जनसंख्या अनुदानित दर पर राशन प्राप्त करने का हकदार है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत झारखण्ड राज्य के 86.48% ग्रामीण जनसंख्या तथा 60.20% शहरी जनसंख्या को आच्छादित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल जनसंख्या का 80.16% को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
(2) क्या यह बात सही है कि पूर्ववर्ती (2015–19) सरकार ने वार्षिक जनसंख्या वृद्धि के आधार पर झारखण्ड को एनएफएसए के तहत खाद्यान्न अधिक आवंटित करने का आग्रह भारत सरकार से किया था;	माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–3900212, दिनांक 22.06.2019 द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया गया था।
(3) क्या यह बात सही है कि 2011 से 2021 के बीच राज्य की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। 2021 में जनगणना भी नहीं हुई। 2011 की जनसंख्या को आधार मानने के कारण राज्य की बढ़ी हुई आबादी को अनुदानित दर पर राशन नहीं मिल रहा है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत लाभुकों को आच्छादित किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2,64,25,385 है जिसके ऑनालईन व्यवस्था के कारण शतप्रतिशत आच्छादन की स्थिति बन पाया है। भारत सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के तहत निर्धारित लक्ष्य में वृद्धि अगली जनगणना के बाद ही संभव है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 2021 से झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चालु की गई है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों का लक्ष्य प्रारंभ में 15 लाख लाभुक था जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 20 लाख किया गया है। वर्तमान में इस योजना के तहत 15,23,461 लाभुक आच्छादित हैं।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार 2011 के बाद बढ़ी हुई जनसंख्या को अनुदानित दर पर राशन देने तथा सभी योग्य/इच्छुक परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–96/2022 3870 /राँची, दिनांक 20/12/22

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 2378, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2022
सरकार के अवर सचिव।

(135)

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० द्वारा चलते/आगामी अधिवेशन में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं०–05 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :–

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1.) क्या यह बात सही है, कि सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग के पत्रांक 422 दिनांक 18.02.2022 तथा सचिव योजना–सह–वित्त विभाग के पत्रांक 1965 दिनांक 02.06.2017 के आलोक में 196% महंगाई भत्ता तथा न्यूनतम मासिक वेतन रु० 26,300/– का लाभ बाल संरक्षण मनरेगा पारा शिक्षकों सहित संविदा कर्मियों को दिया जाना है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। राज्य सरकार के कर्मियों को अनुमान्य सातवें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1965 दिनांक 02.06.2017 द्वारा राज्य सरकार के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय/कोषागार/उप कोषागार एवं राज्य के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में नियत संविदा राशि/एकमुश्त नियत राशि पर कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों को देय एकमुश्त/संविदा राशि में अभिवृद्धि करते हुए रु० 26,300/– एकमुश्त/संविदा राशि प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या 422 दिनांक 18.02.2022 द्वारा संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में महंगाई भत्ता 113% (एक सौ तेरह) से बढ़ाकर 196% (एक सौ छियानवें) अभिवृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त दोनों वित्त विभागीय संकल्प राज्य सरकार में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए प्रभावी है, जिनकी संविदा पर नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में हुई है एवं उनके मानदेय/संविदा राशि का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में किया जाना निर्धारित है।
(2.) क्या यह बात सही है, कि यह लाभ सरकार के कुछ अन्य विभागों में यथा बाल विकास सम्पेक्षण गृह के कर्मियों को दिया जा रहा है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका–1 में अंकित दोनों वित्त विभागीय संकल्प राज्य सरकार में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए प्रभावी है, जिनकी संविदा पर नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में हुई है एवं उनके मानदेय/संविदा राशि का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में किया जाना निर्धारित है।

(3.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित संविदा कर्मियों को लंबित महंगाई भत्ता एवं न्यूनतम वेतन का लाभ देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अस्वीकारात्मक। उपरोक्त कंडिका–1 में अंकित दोनों वित्त विभागीय संकल्प राज्य सरकार में संविदा पर नियुक्त एवं कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए प्रभावी है, जिनकी संविदा पर नियुक्ति वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 4569 दिनांक 05.07.2002 के आलोक में हुई है एवं उनके मानदेय/संविदा राशि का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्पों के आलोक में किया जाना निर्धारित है। ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 1028 दिनांक 04.08.2022 के आलोक में मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों/कर्मियों को मानदेय का भुगतान कियां जाता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संकल्प संख्या 237 दिनांक 14.02.2022 द्वारा निर्गत झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान किया जाता है।

झारखण्ड सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

ज्ञापांक : 10/वि•स• (4)–38/2022 134/वि.वि. राँची/दिनांक: 20/12/22

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 2328/वि०स०, दिनांक 16.12.2022 के आलोक में उत्तर सामग्री (पत्रों की छायाप्रति सहित) अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लाल हेमंत नाथ शाहदेव)
सरकार के अवर सचिव
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री मनीष जायसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-23 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान सभा क्षेत्र का सदर प्रखण्ड एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ सरकार स्तर से सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है तथा उक्त प्रखण्ड के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग सदर प्रखण्ड में विभाग द्वारा पुनर्स्थापित जोड़ा आहर, जगदीशपुर आहर एवं गुरूवा उद्वह सिंचाई योजना तथा निर्मित सरौनीकला नाला, हदहदवा नाला, सेखाग्राम एवं शेखा सरौना नाला पर चेकडैम योजनाओं से सिंचाई सुविधा ग्रामीणों को प्रदान की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित प्रखण्ड में कोनार, पनघटवा एवं हदहदवा नदी अवस्थित है;	स्वीकारात्मक। पनघटवा एवं हदहदवा नदी दोनों एक ही है।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में वर्णित नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण होने से उक्त प्रखण्ड के पंचायत–नया खपा, ग्राम–बहनबैया, पंचायत–भेलवारा, ग्राम–बोचों एवं भेलवारा तथा पंचायत–सिलवारकला के साथ–साथ पंचायत–चुटियारो, ग्राम–चुटियारो के किसानों को सिंचाई का साधन सुगमता से उपलब्ध होगा,	आंशिक स्वीकारात्मक। सदर प्रखण्ड के पंचायत–नया खपा, ग्राम–बहनबैय, पंचायत–भेलवारा, ग्राम–बोंचो एवं भेलवारा में कोनार नदी पर चेकडैम निर्माण तकनीकी रूप से संभाव्य नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार जनहित में खण्ड–02 में वर्णित नदी में श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के निर्माण की स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	पंचायत–सिलवारकला में सर्वेक्षणोंपरांत तकनीकी संभाव्यता एवं लाभ–लागत के आधार पर योजना निर्माण की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10–अ०सू०–17/2022...6445 / राँची, दिनांक–21/12/22

प्रतिलिपि :–(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2389 दिनांक–17.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

श्री सरयू राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-09 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सरयू राय, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि उपभोक्ताओं को अबाध विद्युत आपूर्ति करना राज्य सरकार के नीति में है, जिसे विभिन्न विधुत उत्पादकों के साथ समन्वय बनाकर लागू करने की चेष्टा सरकार करती है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत JBVNL के अतिरिक्त टाटा स्टील युटिलिटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (TSUIL) की बिजली का घरेलू कनेक्शन जमशेदपुर के विभिन्न बस्तियों में हैं, परन्तु इनका समन्वित उपयोग नहीं हो रहा है;	जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में TSUIL द्वारा निर्मित इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। TSUIL के बिजली के घरेलू कनेक्शन का समुचित उपयोग हेतु जमशेदपुर क्षेत्र के अंतर्गत महाप्रबंधक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, जमशेदपुर की अध्यक्षता में प्रत्येक माह बैठक की जाती है, जिसमें माननीय विधायक या उनके प्रतिनिधि, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारीगण एवं TSUIL की ओर से उनके GM (PSD), DGM (PSD) एवं Chief Manager (Administration) उपस्थित होते हैं। TSUIL का इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग अच्छे से हो इसका प्रयास किया जा रहा है, कुछ बस्ती जैसे बागुनगर, अर्जुननगर, प्रधान कॉलोनी, दीपा कोलोनी, छाया नगर, निर्मल नगर एवं मोहरदा इत्यादि क्षेत्रों में TSUIL के द्वारा विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर लगाने हेतु आवश्यक शुरूआत की जा रही है, परन्तु TSUIL के द्वारा कुछ क्षेत्र के संबंधित गलियों जिसकी चौड़ाई कम है जिसमे विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में असमर्थता जताई गई है।
3. क्या यह बात सही है कि JBVNL से विधुत आपूर्ति कि कमी को TSUIL की बिजली से पूरा करने का समन्वित प्रयास हो तो वहाँ की बस्तियों एवं रिहायशी इलाकों में 24 घण्टे अबाध विद्युत आपूर्ति हो सकती है;	हाल के दिनों Power & Availability Peak hours JBVNL में power की उपलब्धता माँग के तुलना में कम रही है, जिसके कारण पूरे जमशेदपुर क्षेत्र में सुबह करीब (05:00 से 08:30 बजे) एवं शाम (05:00 से 08:30 बजे) में load shedding कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। माननीय विधायक के निर्देशानुसार Peak hours में TSUIL से JBVNL को बिजली आपूर्ति हो सके इसकी feasibility पर TSUIL एवं JBVNL के महाप्रबंधक स्तर पर feasibility Explore करने हेतु बैठक एवं स्थल निरीक्षण कर प्रयास किया जा रहा है। समुचित प्रतिवेदन अगले 03 माह में समर्पित कर दिया जायेगा। Feasibility (Technical) रिपोर्ट के आधार पर ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

4. यदि उपर्युक्त खंडों के उतार स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की बस्तियों में नियमित विधुत आपूर्ति करने हेतु TSUIL के साथ समन्वय बनाकर विधुत आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	Technical feasibility प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त होने के उपरांत सरकार जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र की बस्तियों में नियमित विद्युत आपूर्ति करने हेतु TSUIL के साथ समन्वय बनाकर विद्युत आपूर्ति करने का प्रयास करेगी।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2553 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(138)

श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-32 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री संजीव सरदार, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत-घोलाबेड़ा के ग्राम-बरूनिया के लगभग 50 परिवार नीबू की खेती कर रहे हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि नीबू की खेती कर रहे परिवारों को आस-पास में बाजार उपलब्ध नहीं है जिससे प्रत्येक परिवार द्वारा 150-200 नीबू की फसल नहीं बिकने के कारण स्वरोजगार से वंचित रह रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत-घोलाबेड़ा के ग्राम-बरूनिया में नीबू की खेती कर रहे परिवारों के लिए बाजार उपलब्धता एवं फुड-प्रोसेसिंग की व्यवस्था करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो ?	किसानों को बाजार के लिए बाजार समिति एवं FPO से संपर्क किया जा रहा है। MIDH अंतर्गत फुड-प्रोसेसिंग का प्रावधान है। इच्छुक कृषक राष्ट्रीय बागवानी मिशन मार्गदर्शिका के अनुरूप 40 प्रतिशत अनुदान पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-48/2022 3388 /कृ0, राँची, दिनांक- 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0-2392 दिनांक-17.12.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(विभाष चन्द्र सिंह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-03/कृ0वि0स0(अ0सू0)-48/2022 3388 /कृ0, राँची, दिनांक- 21/12/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव।

(139)

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-01 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने 2022 से गरीबों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि घरों में मीटर न होने के कारण एवं पुराने मीटर खराब होने के कारण लोगों को निर्धारित (Fixed) दर पर बिल भुगतान करना पड़ता है, जिस कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है;	स्वीकारात्मक। उपभोक्ताओं के परिसर में लगे मीटर खराब होने की स्थिति में खपत किए गए यूनिट के आधार पर निर्धारित बिल दिया जाता है, परन्तु खपत यूनिट का पैटर्न नहीं होने पर उपभोक्ताओं के लोड के आधार पर निर्धारित सूत्र के अनुसार विपत्रीकरण किया जाता है। एक माह में औसत खपत 100 यूनिट से अधिक आने पर मुफ्त बिजली का लाभ नहीं दिया जाता है, परन्तु सब्सिडाइज्ड दर पर 400 यूनिट तक विपत्रीकरण किया जाता है।
3. क्या यह बात सही है कि पूर्व से कई घरों में एक से अधिक मीटर होने के कारण आम उपभोक्ताओं को दो या तीन बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। निगम के समक्ष इस तरह के कुछ मामले आए हैं, जिसपर संज्ञान लेते हुए निगम द्वारा ऐसे सभी उपभोक्ताओं, जिनके यहाँ एक से अधिक मीटर लगे हो, की जाँच कर बिलिंग डाटा बेस से हटाने हेतु प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिया गया है, जिसपर लगातार अग्रत्तर कार्रवाई की जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी समस्योओं का समाधान करते हुए 100 युनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ उपभोक्ताओं को मिले इस हेतु कोई ठोस पहल करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना का लाभ उपभोक्तओं को माह अगस्त 2022 से दिया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2562 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ०सू०-17 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी प्रखण्ड के तहत् मछियारा पंचायत के चैनपुर डैम अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित डैम का कई वर्षों से गहरीकरण/जीर्णोद्धार नहीं होने से मिट्टी एवं झाड़ियाँ भर जाने के कारण जलजमाव अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(01) में वर्णित डैम का गहरीकरण/जीर्णोद्धार हो जाने से आस–पास के ग्रामीणों को कृषि में सुलभ एवं रोजगार में सृजन प्राप्त होगा;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो, क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित डैम का गहरीकरण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	प्रश्नगत् योजना के जीर्णोद्धार कार्य का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

ज्ञापांक–6/ज०सं०वि०–10–आ०सू०–15/2022 6442 / राँची, दिनांक– 21.12.22

प्रतिलिपि :–(1)अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–2386 दिनांक–17.12.2022 के क्रम में 5 (पाँच) प्रति अतिरिक्त प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय काँके, रोड/उप सचिव, मंत्रीमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(3) अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिचांई, राँची/दुमका एवं अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची

(141)

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–22 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अमर कुमार बाउरी
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि उपभोक्ता के लिए आहार पत्रिका का प्रकाशन वर्ष–2017 के अक्टूबर माह में किया गया है;	यह सही है कि आहार पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2017 के अक्टूबर माह में प्रारंभ हुआ।
(2) क्या यह बात सही है कि आहार पत्रिका का प्रकाशन कार्य वर्ष 2017 के अक्टूबर माह में जिस प्रकाशक को दिया गया उसे बिना टेंडर तथा बिना वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए मनोनयन के आधार पर कार्य दिया गया है;	अक्टूबर, 2017 में समयाभाव रहने के कारण इसका शीघ्र प्रकाशन झारखण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अनुमोदित दर पर करने का कार्यादेश दिया गया। तत्पश्चात दिसम्बर, 2017 में निविदा के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। निविदा के आलोक में कार्य सम्पादित किया गया।
(3) क्या यह बात सही है कि उसकी जाँच एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा किया जा रहा है और एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा आरोपितों के विरूद्ध पीई दर्ज करने की अनुमति सरकार से माँगी गयी है, जो सरकार के पास दो महीनों से लम्बित है।	इस संबंध में विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं है।
(4) क्या यह बात सही है कि आहार पत्रिका के भुगतान और वितरण में घोर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार किया गया है, जिस कारण राज्य को राजस्व की क्षति हुई है;	अक्टूबर, 2017 में समयाभाव रहने के कारण इसका शीघ्र प्रकाशन झारखण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अनुमोदित दर पर करने का कार्यादेश दिया गया। तत्पश्चात दिसम्बर, 2017 में निविदा के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, राँची के द्वारा निविदा आमंत्रित कर निविदा के आलोक में कार्य सम्पादित किया गया। माह अक्टूबर, 2017 से निविदादाता के चयन तक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अनुमोदित दर एवं निविदा के आधार पर अनुमोदित दर की अंतर राशि की कटौती झारखण्ड प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विपत्र से कर ली गई। बुलेटिन के लिए विशेषज्ञ की सेवा भी अवैतनिक थी। इस प्रकार विभाग द्वारा कोई अधिक राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान की गई राशि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड के अनुमोदित दर से भी कम है।
(5) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संबंधित दोषियों पर पीई दर्ज कराने का इरादा है हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–95/2022 3871 /राँची, दिनांक 20/12/22
प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या–2379, दिनांक 17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/12/2022
सरकार के अवर सचिव।

(142)

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय, स०वि०स० झारखण्ड द्वारा पूछे जाने हेतु निर्धारित अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० – 07 का उत्तर

प्रश्नकर्त्ता		उत्तरदाता
श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, माननीय सदस्य विधान सभा		श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची
प्रश्न		उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि भारत सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य सरकार को पशुपालन विभाग हेतु 'Common nomenclature in order to harmonize the organogram of veterinary services' विषय से संबंधित Advisory प्राप्त हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। "Advisory with Common nomenclature for State Animal Husbandry department" पशु चिकित्सा सेवा संध झारखण्ड के द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड गठन के बाद से अबतक झारखण्ड पशुपालन सेवा के 85 प्रतिशत से भी अधिक पशुचिकित्सक अपने मूल पद से ही सेवानिवृत हो चुके है एवं यह प्रक्रिया जारी है ;	अस्वीकारात्मक। 1. झारखण्ड गठन के बाद पशुचिकित्सकों की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 का गठन किया गया। 2. नियमावली के गठन उपरान्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष (मूल पद) से प्रोन्नति के प्रथम पद सोपान उप निदेशक एवं समकक्ष पद पर कुल 56 पदाधिकारियों को वर्ष 2016 में प्रोन्नति प्रदान की गयी है। 3. माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रोन्नति पर रोक हटाये जाने के उपरांत उप निदेशक एवं समकक्ष पद के रिक्त 49 पदों एवं संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष पद के रिक्त 14 पदों के लिए आदर्श रोस्टर क्लीयर कराने के बाद प्रोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 4. चारा घोटाला में पशुचिकित्सकों के अभियुक्त होने, कोविड – 2020 एवं 2021 के कारण भी प्रोन्नति की प्रकिया बाधित हुई।
3	क्या यह बात सही है कि, झारखण्ड पशुपालन सेवा के पदाधिकारियों को नियमित प्रोन्नति का अवसर प्राप्त नहीं होने का मूल कारण उनकी वर्तमान नियुक्ति, प्रोन्नति नियमावली का केन्द्र के अनुरूप नहीं होना है ;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 से प्रभावी है एवं सुदृढ़ है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, झारखण्ड पशुपालन सेवा के organogram एवं पद सोपन को केन्द्र के अनुरूप संशोधित करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड पशुपालन सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 झारखण्ड राज्य के पदाधिकारियों की नियमित प्रोन्नति हेतु सुदृढ़ है। जिसमें निहित प्रावधानों के अनुसार प्रोन्नति प्रदान किये जाने की कार्रवाई सुचारू रूप से की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञापांक :– 1 स्था० अल्पसूचित प्रश्न 04/2022 प०पा० 1462 दिनांक 20/12/22

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2327/वि०स० दिनांक 16.12.22 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में/अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को एक प्रति में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.22

सरकार के अवर सचिव

(143)

श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–26 का प्रश्नोत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा, झारखण्ड, राँची	श्री बादल पत्रलेख, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पाँकी विधान–सभा क्षेत्र कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ अन्य कोई उद्योग, कल–कारखाना इत्यादी रोजगार के साधन नहीं है तथा यहाँ निवास करनेवाली 90 प्रतिशत जनता जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य पर आश्रित है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्र के लोग धान, गेहूँ के अलावे साग–सब्जी की खेती प्रचूर मात्रा में करते हैं। वर्तमान समय में कृषकों द्वारा व्यवासायिक कृषि करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसान अपने उपज का समुचित भण्डारण एवं वितरण नहीं कर पाते है, जिस कारण मजबूर होकर इन्हें अपनी उपज को औने–पौने दाम में बिचौलियों के हाथों में बेचना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पाँकी विधान–सभा क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर कोल्ड स्टोरेज निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	वस्तुतः पांकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नीलाम्बर–पीताम्बर (लेस्लीगंज) प्रखण्ड में 5 एम0टी0 के मिनी सोलर कोल्डरूम का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं संबंधित पैक्स को हैण्डओवर किया जा चुका है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में पांकी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड में 5 एम0टी0 के मिनी सोलर कोल्डरूम निर्माण की विभागीय स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

1585
21/12/2022

(क्र0 प्र0 30)

		उक्त के अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि पलामू जिला अन्तर्गत प्रखण्ड–चैनपुर में 05 एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संबंधित पैक्स को हैण्डओवर किया जा चुका है। प्रखण्ड– मोहम्मदगंज, रामगढ़, पंडवा एवं सतबरवा में 05 एम0टी0 सोलर कोल्ड रूम का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रखण्ड– हुसैनाबाद, विश्रामपुर, मोहम्मदगंज, पाण्डु तथा चैनपुर में 30 एम0टी0 कोल्डरूम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं प्रखण्ड– नोडिहाबाजार, छतरपुर, हरिहरगंज तथा पीपरा में 30 एम0टी0 कोल्डरूम निर्माणाधीन है। हुसैनाबाद प्रखण्ड में 5000 एम0टी0 क्षमता के शीत गृह निर्माणाधीन है तथा निर्माण कार्य लगभग 83 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(सहकारिता प्रभाग)

ज्ञापांक–03/बजट सह0 (विधान सभा)–34/2022.....1585...../**राँची, दिनांक–**.....21/12/2022.....

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0–2393 वि0स0 दिनांक–17.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं 200 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 21/12/22

(145)

श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–12 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री सुदिव्य कुमार, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह विधान-सभा क्षेत्र में एल टी केबल और ट्रांसफार्मर की घोर कमी तथा तार एवं पोल जर्जर होने के कारण हमेशा बिजली का संकट बना रहता है, जिससे वहाँ के ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु एल० टी० केबल और ट्रांसफार्मर एवं जर्जर पोल तथा तार को समय-समय पर बदला जाना आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गिरिडीह विधान-सभा क्षेत्र में एल टी केबल और ट्रांसफार्मर, जर्जर बिजली के पोल एवं तार को बदल कर बिजली व्यवस्था में सुधार लाना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	गिरिडीह विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 15.12.2022 तक 18 कि०मी० एल०टी० केबल एवं 550 पोल को बदल दिया गया है। शेष बचे कार्य को वित्तीय वर्ष 23–24 में प्राथमिकता के आधार पर कराया जायेगा।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2554 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०-04 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री प्रदीप यादव, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि ''झारखण्ड ऊर्जा नीति-2012'' के प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थापित बिजली उत्पादन ईकाई को अपने उत्पादित क्षमता का 25% बिजली झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग (JSERC) द्वारा निर्धारित टैरिफ पर उपलब्ध कराना है;	स्वीकारात्मक। ''झारखण्ड ऊर्जा नीति-2012'' के कंडिका 2 के तहत यह लिखित है कि ''encouraging as a facilitater to IPPs who have entered into MoU for setting up thermal power generating plant in the State and supply of power to the State under first right of refusal limited to 25% of the installed capacity at price to be decided by Jharkhand State Electricity Regulatory Commission (JSERC).''
2. क्या यह बात सही है कि पिछली सरकार ने अडानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड, गोड्डा को 12% Variable एवं 13% Fixed (मूल लागत/सस्ते) दर पर बिजली देने की शर्तों में छूट दी है;	झारखण्ड ऊर्जा नीति-2012 की कंडिका-2 में उत्पादित विद्युत क्रय करने के संबंध में प्रावधान निम्नवत है:- ''ऐसे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को सुविधाप्रदाता के रूप में बढ़ावा देना जिनके द्वारा राज्य में ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाने तथा संस्थापित क्षमता के 25% तक सीमित प्रथम अस्वीकृति अधिकार के अधीन झारखण्ड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले मूल्य पर राज्य को विद्युत आपूर्ति करने हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया है।'' ऊर्जा विभाग के संकल्प सं०-2542, दि०-06.10.2016 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विषय पर सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड ऊर्जा नीति की सुसंगत कंडिका के बिन्दुओं को रखते हुए निम्न बिन्दु तथा स्पष्टीकरण को समाविष्ट किया जाता है:- नई कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम 2015 के वर्तमान स्वरूप एवं झारखण्ड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 में वर्णित प्रावधान (कंडिका 6.1-कच्चा माल सिक्यूरिटी) के अंतर्गत राज्य के औद्योगिकीकरण हेतु यथा ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्चा माल (कोयला) किसी भी आवेदक/इकाई को झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लि०, राँची से नियमानुसार आवंटन/लिंकेज प्राप्त हो सकता है। अतः ऐसे आवंटन/लिंकेज प्राप्त होने पर प्रथम अस्वीकृति अधिकार के अधीन 25% तक की सीमा में 12% की हद तक परिवर्त्तनीय दर (Variable Cost) पर विद्युत आपूर्ति ली जाएगी तथा 13% परिवर्तनीय एवं स्थिर दर पर विद्युत आपूर्ति ली जाएगी और कोल आवंटन/लिंकेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखण्ड ऊर्जा नीति-2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में कुल 25% ऊर्जा का क्रय राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित स्थिर एवं परिवर्त्तनीय दर की समेकित दर से की जाएगी।

3. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त छूट के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि होगी;	उपरोक्त कंडिका में वस्तु स्थिति स्पष्ट कर दी गई हैं।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त शर्तों में दी गई छूट को वापस लेना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2559 /

दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

(147)

श्री निरल पुरती, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड से प्रवाहित होने वाली खड़कई नदी में लगातार कटाव हो रहा है, जिससे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण आम जन–जीवन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड से प्रवाहित होने वाली खड़कई नदी के कटाव से मॉडल स्कूल तांतनगर की चाहरदिवारी गिर गया है, जिससे स्कूल पर खतरा बना हुआ है।	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर प्रखण्ड से प्रवाहित होने वाली खड़कई नदी के कटाव को रोकने हेतु समुचित व्यवस्था करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षणोपरान्त प्राप्त प्रस्ताव पर तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–16/2022 – 647 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2387 वि०स० दिनांक–17.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, ईचा–गालूडीह/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(148)

श्री सुदेश कुमार महतो , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसॉवा जिले में चांडिल डैम का निर्माण हुआ है जिससे सरायकेला– खरसॉवा एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त डैम के निर्माण होने से हजारों परिवार विस्थापित हुए है ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों को बसाए गए गाँवों का सीमांकन नहीं हो पाया है ;	कुल 22 अदद् पुनर्वास स्थल में से 18 अदद् पुनर्वास स्थल का सीमांकण कार्य पूर्ण हो गया है। शेष 4 अदद् पुनर्वास स्थल पर कार्य प्रगति पर है।
4.	क्या यह बात सही है कि विस्थापितों को बंडा–पर्चा नहीं दिया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार विस्थापितों के लिए बसाए गए गाँवों का सीमांकन करने तथा उन्हें बंडा– पर्चा एक समय सीमा के अन्दर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	वर्त्तमान में परियोजना स्तर से बंडा– पर्चा निर्गत नहीं की जा रही है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०–820 दिनांक–18.11.2010 में निहित निर्देश के आलोक में झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यावस्थपन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावाली 2015 गठित की गई है, जिसके नियम 28(6) में प्रावधानित है कि प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापन वास स्थल में पुनस्थार्पित करने के साथ जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व अधिकार संबंधी कागजात हस्तगत् करा दिए जायेगें साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा वासस्थल को राजस्व ग्राम घोषित कर दिए जायेगें। उक्त संकल्प में वर्णित प्रावधान के तहत् भू–अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि एवं आवास के स्वामित्व संबंधी कागजात समाहर्त्ता द्वारा प्रपत्र– XII में प्रदान किए जायेगे। उपायुक्त सरायकेला–खरसॉवा के पत्रांक–1970 दिनांक–29.12.2016 एवं ज्ञापांक–86 दिनांक–31.01.2017 एवं पत्रांक–135 दिनांक–31.01.2017 द्वारा पुनर्वास स्थलों पर आवासित विस्थापितों के मांगी गई सूची के आलोक में अपर निदेशक भू–अर्जन एवं पुनर्वास स्वर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर के पत्रांक–158 दिनांक–04.02.2017 एवं पत्रांक–442 दिनांक–09.07.2018 एवं पत्रांक–511 दिनांक–24.07.2018 तथा पत्रांक–711 दिनांक–19.09.2018 द्वारा पुनर्वास स्थलों में आवासित विस्थापितो की सूची तथा सुवर्णरेखा परियोजनान्तर्गत चांडिल प्रक्षेत्र में अवस्थित सभी पुनर्वास स्थलों का अर्जित की गई जमीन का खाता खसरा एवं रकबा से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गई है। उपायुक्त सरायकेला–खरसॉवा द्वारा अग्रेतर कार्रवाई किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 06/ज०स०वि०–10–अ० सू०–14/2022 – 6488 /राँची, दिनांक 21/12/22

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–2325 वि०स० दिनांक–16.12.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना चांडिल/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

(149)

श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 22.12.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–15 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता श्री मनीष जायसवाल, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता विभागीय मंत्री
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह जिले सहित राज्य के अन्य DVC कमांड एरिया में इन दिनों बिजली की आपूर्ति मात्र 07–08 घंटो प्रतिदिन दिया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है DVC का सरकार पर लगभग हजार करोड़ रुपये राशि बकाया जिसका खामियाजा जनता को झेलनी पड़ रही है;	बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह जिले में उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही है, एवं कभी-कभी अनुपलब्धता होने पर कटौती की जाती है। वर्तमान में डी०वी०सी० से क्रय की गई बिजली के विरूद्ध भुगतान नियमित है एवं 03 जून 2022 तक का डी०वी०सी० का बकाया झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा LPS Rule, 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार किश्तों में किया जा रहा है।
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में झारखण्ड बिजली वितरण निगम एवं DVC का बिजली बिल का बकाया राशि घरेलू बिजली उपभोक्ता की तुलना में सरकारी कार्यालयों एवं आवासों पर है जिसे सरकार द्वारा भी जमा नहीं की जा रही है जबकि सरकार द्वारा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाया बिल की वसूली हेतु उक्त उपभोक्ताओं पर दबाव तो बनाती है परन्तु अपने बकाया बिल के प्रति गंभीर नहीं है;	सरकारी प्रतिष्ठानों का माह अगस्त, 2022 तक का बकाया रू० 485.00 करोड़ है। महाप्रबंधक (राजस्व), झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा सरकारी कार्यालयों एवं आवासों से बकाया बिजली बिल भुगतान हेतु संबंधित विभागाध्यक्ष से पत्राचार किया जा रहा है ताकि संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में सरकारी कार्यालयों एवं आवासों का विद्युत बकाया राशि जमा कराई जा सके।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-01 में वर्णित जिलों में बिजली आपूर्ति सुचारु करने के लिए कठोर कदम उठाते हुए राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों एवं आवासों पर वर्षों से बकाये बिजली बिल को चालू वित्तीय वर्ष में जमा करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक 2563 / दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/22

(अरूण प्रकाश सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

150

श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-22.12.2022 को पूछा जाने वाला अल्प-सूचित प्रश्न सं0-अ0सू0-31 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता- श्री समीर कुमार मोहन्ती, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**-माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र0	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल-30 आत्मा कर्मी कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड-01 में उद्धृत आत्मा कर्मियों को विगत 11 महीनों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड-01 में वर्णित आत्मा कर्मियों के मानदेय भुगतान का विचार रखती है, अगर हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	आत्मा कर्मियों को चार माह के मानदेय का भुगतान दिनांक-19.12.2022 को कर दिया गया है। भारत सरकार से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अन्तर्गत द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त होने पर शेष माह के मानदेय के भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-47/2022 3390 **/कृ0, राँची, दिनांक-**21/12/2022

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0-2394 दिनांक-17.12.2022 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

(राघवेन्द्र झा)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-04/कृ0वि0स0(अ0सू0)-47/2022 3390 **/कृ0, राँची, दिनांक-**21/12/2022

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा-9 (विधायी शाखा), कृषि प्रभाग/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.22

सरकार के उप सचिव।